मध्य प्रदेश शासन

मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना (MPRCP)
(विश्व बैंक से सहायता प्राप्त)

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क
कार्यकारी सारांश

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्य प्रदेश
अक्टूबर – 2016

परियोजना संदर्भ

मध्य प्रदेश (म.प्र.) भारत के केंद्र में स्थित, सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक जनसंख्या वाले भारतीय राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और विशाल प्राकृतिक संसाधनों और उपयुक्त कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ संपन्न है। कृषि के द्वारा 72% नौकिरयां प्रदान करने के बावजूद, घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान मात्र 33% है। तथापि कमजोर परिवहन और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण, कृषि क्षेत्र में काफी बर्बादी होती है। मध्य प्रदेश शासन के अतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार सामान्य विकासखण्ड के 500 से कम आबादी वाले ग्रामों एवं आदिवासी विकासखण्ड के 250 से कम आबादी वाले ग्रामों को बारहमासी ग्रेवल स्तर की सड़कों के द्वारा जोडने हेतु वर्ष 2010 में ''मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना (CMGSY)'' का शुभारंभ किया गया। सीएमजीएसवाई (CMGSY) के अतर्गत ग्रेवल सडकों से संपर्क होने के उपरांत ग्रामों में सामाजिक और आर्थिक विकास गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुयी है, जिसके फलस्वरूप लोगों की गतिशीलता में वृद्धि, कृषि उत्पादों को ग्रामों से शहरो में ले जाने में सरलता, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर सेवायें , स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि अन्यसउत्पाद जैसे कृषि उपकरण, मशीन, घरेलू उपकरण, एफएमसीजी, आदि शामिल हैं ।

परियोजना का विवरण

मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्कता कार्यक्रम (MPRCP) अन्तर्गत मुख्य रूप से मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना (CMGSY) के अधीन निर्मित ग्रेवल सडको का विश्व बैंक की सहायता से उन्नयन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 500 से 150 के मध्य की जनसंख्या वाले सामान्य विकासखण्ड और 250 से 100 आबादी तक के आदिवासी विकासखण्ड वाले ग्रामों के ग्रेवल सड़कों का 3.00 मी चौडाई की डामरीकृत सडकों के रूप में उन्नयन किया जायेगा।

परियोजना विकास का उद्देश्य (पीडीओ) मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना (CMGSY) के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के स्थायित्व और लचीलापन (resilience) में सुधार करना तथा मध्य प्रदेश की ग्रामीण सडकों का और अधिक दक्षता से प्रबंधन करने के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण की क्षमता में वृद्धि करना सम्मिलित है। मुख्यतः ग्रामीण संपर्कता का परम लक्ष्य : 1) वर्तमान में मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना (CMGSY) की सड़कों के जीवन चक्र में सुधार करना और यात्रा का समय कम करने के लिए वर्तमान स ड़कों को आरोहण गुणवत्ता प्रदान करना, 2) स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आय आदि सार्वजनिक सेवाओं

को सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना, 3) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सुविधाओं से वंचित और अविकसित ग्रामीणों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करना।

इसे निम्नलिखित तीन घटकों में विभाजित किया गया है:

घटक (अ): सड़क सुधार और गतिशीलता संवर्धन। यह घटक दो भागों में है:

(i) सीएमजीएसवाई (CMGSY) कार्यक्रम के तहत सामान्य विकासखण्डों में 499 से 150 के मध्य की जनसंख्या वाले ग्रामों और आदिवासी विकासखण्ड में 250 से 100 आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने हेतु निर्मित की गयी ग्रेवल सड़कों का उन्नयन करना, और
(ii) तेजी से विकास करने की संभावना वाले गावों को वैकल्पिक संपर्कता प्रदान कर ना और बाजार केन्द्रों के लिए अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना ।

घटक (ब): संस्थागत विकास: संस्थागत सुदृढ़ीकरण, निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंदित करेगा

(i) स्वचालित वेब आधारित परियोजना प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएमएस) का विकास करना, जिसमे डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुबंध प्रबंधन और भुगतान प्रमाण पत्र को वेब आधारित प्लेटफार्म पर डाटा को एकत्रीकरण की क्षमता हो।
(ii) एमपीआरडीसी द्वारा निर्मित URS (Unified Road Information System) एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित रखरखाव प्रबंधन प्रणाली के साथ अनुबंधित e-MARG जिसे मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना (CMGSY) के अंतर्गत विकसित किया गया था , के संवर्धन के द्वारा सड़क परिसंपतियों के प्रबंधन में सुधार करना।
(iii) एमपीआरआरडीए के अंतर्गत इंजीनियरिंग डिजाईन अनुसंधान इकाई की क्षमता को सुदृढ करना, स्वत्रंत सक्षम एजेंसी द्वारा क्रियान्वरयन के समय , कार्य सम्बन्धी एव डिजाईन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु सहयोग प्रदान करना।
(iv) एमपीआरआरडीए के कर्मचारियों को डिजाईन, खरीदी, अनुबंध प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, सड़क परियोजनाओं में सामाजिक और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण देना।

घटक (स): सड़क सुरक्षा प्रबंधन क्षमता विकास: यह घटक एमपीआरआरडीए एवं अन्य सरकारी विभागों को राज्य के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के प्रबंधन में उनकी क्षमता का निर्माण में सहयोग प्रदान करना। परियोजना से लाभान्वितों में ग्रामीण आबादी जैसे किसानों एवं ग्राम समुदाय, जिनमे अतिसंवेदनशील वर्ग जैसे महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजातियां, जिन तक सेवाओं और विभिन्न सुविधाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, मंडी (बाजार एवं व्यापार) पहुँचने की आवश्यकता है , सम्मिलित है। इसके अलावा, अन्य लाभार्थियों में, इन गावों में उत्पादक और सेवा उपयोगकर्ताओं   तक पहुचने वाले व्यापारी , विक्रेता, वाहन ऑपरेटर शामिल हैं। विभागों के कर्मचारियों जिनमे अपराध या दुर्घटना स्थल तक पहुंचने वाली पुलिस, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स मुदायों में पानी की सप्लाई करने वाले टैंकरों की आपूर्ति, परियोजना के माध्यम से ग्रामीण बाजारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्नत पहुँच सक्षम हो। ये ग्रामीण सड़के उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, तेज, धूल रहित और अधिक आरामदायक गतिशीलता प्रदान करेंगी।

परियोजना की कुल लागत 505 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें निम्नलिखित अंशदान शामिल हैं: एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (141 मिलियन अमरीकी डालर), विश्व बैंक (212 मिलियन अमरीकी डालर) और ऋणकर्ता (152 मिलियन अमरीकी डालर)।

सेफगार्ड फ्रेमवर्क की आवश्यकता

एमपीआरसीपी (MPRCP) के तहत ग्रामीण सड़कें अलग-अलग भौगोलिक स्थलाकृतिओं और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं। विषमरूपीय विशेषताओं और इं जीनियरिंग डिजाइन के रूप में सड़कों के स्तर, पर्यावरण प्रबंधन और सामाजिक प्रबंधन गतिविधियों के नियोजन, डिजायन और क्रियान्वयन में एक समान दृष्टिकोण लाना आवश्यक है। इस संदर्भ में, पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF) एक उपयुक्त उपकरण है जो कि विश्व बैंक की प्रचालन नीतियों और देश की नियामक तंत्र की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित सीमा रेखा के अंतर्गत लचीलेपन के लिए अनुमति देता है, एवं एक उचित उपकरण के रूप में कार्य करता है। परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सिविल कार्य और प्रकृति के साथ पर्यावरण प्रबंधन और सामाजिक गतिविधियों के लिये, यह एक दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता पर बल देता है, जो क्रियान्वियन एजेंसी का नियोजन, डिजायन और क्रियान्वायन में सहायता और मार्गदर्शन करेगा।

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन का प्रयोजन एवं उद्देश्य है: क) परियोजना के तहत वित्त पोषित उप-परियोजनाओं में पर्यावरण नियोजन, समीक्षा, अनुमोदन और क्रियान्वायन के लिए स्पष्टर प्रणाली स्थापित करना , ख) पर्यावरण प्रबंधन के उपायों को लागू करने के लिए नियोजन, डिजायन और क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान

करना, ग) उचित और आवश्यक रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करके, प्रबंधन और परियोजना के पर्यावरण और संबंधित सामाजिक सरोकारों के प्रबंधन और मापन के लिए आवश्यक रिपोर्टिंग विधियों की रूपरेखा, और उचित भूमिकाओं एव जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करना, घ) ईएमएफ के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्था का निर्धारण, जिसमे प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता (यदि आवश्यक हो) शामिल है, क्योंकि निर्माण ज्यादातर मौजूदा ग्रेवल सड़कों के किनारे (सड़कों के डामरीकरण के मामले में) और मौजूदा राजस्व रास्तों (बहुसंपर्कता की स्थिति में) भूमि दान और अधिग्रहण न्यूनतम संभावित है। महत्वपूर्ण यह है कि, एसएमएफ (SMF), जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से प्रभावित होने वाली किसी संपत्ति के लिए सहायता का प्रावधान सुनिश्चित करता है। साथ ही ग्रामीण भारत मे अतिसंवेदनशीलता, लिंग भेद और सामाजिक पहचान जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के फलस्वरूप सामाजिक विभेद और आधारहीनता के द्वारा परिभाषित होता है। सीएमजीएसवाई (CMGSY) में अतिसंवेदनशील आबादी के अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है और अतिसंवेदनशील लोगों के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीएमजीएसवाई (CMGSY) द्वारा जनित विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से अतिसंवेदनशील जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के मध्य वितरणात्मक समानता के उपायों शामिल करें।

एमपीआरसीपी (MPRCP) का नियोजन एवं क्रियान्वेयन में पर्यावरण प्रबंधन एव सामाजिक मुद्दों के प्रबंधन और मूल्यांकन के संवर्धन की दिशा में, यह पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF) मौजूदा सेफगार्ड उपकरणों की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। ईएसएमएफ में निम्नलिखित सेफगार्ड उपकरण शामिल हैं: (i) सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (SMF) (ii) अतिसंवेदनशीलता फ्रेमवर्क (VF) (iii) पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क (ईएमएफ) और (iv) पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs)।

विधिक फ्रेमवर्क

एमपीआरसीपी (MPRCP) में पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं के संबंध में लागू अधिनियमों और नीतियों मे प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) अधिनियम 2005, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम (पेसा) 1996, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण

संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ईआईए अधिसूचना 2006 और इसमें संशोधन, खतरनाक और अन्य कचरे (प्रबंधन और बाउन्ड्री परिगमन) संशोधन नियम, 2016 शामिल है. अन्य श्रम नियमों के अनुपालन में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1979, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का भुगतान, अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा) अधिनियम, 1979, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम 1996, उपकर अधिनियम 1996 सम्मिलित है.

एमपीआरसीपी (MPRCP) परियोजना के लिए लागू विश्व बैंक की सेफगार्ड नीतियों में राज्य भर में उपस्थित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कारण विश्व बैंक की परिचालन नीतियों में (ओपी)-4.10-देशीय लोग, ओपी-4.01-पर्यावरण मूल्यांकन और ओपी-4.11-भौतिक सांस्कृतिक संसाधन शामिल हैं।

प्रत्याशित प्रभाव

क्योंकि ग्रामीण सड़क उन्नयन वर्तमान ग्रेवल सड़क मे ही प्रस्तावित है, अत: प्रभावों की मात्रा न्यूनतम या नगण्य होने की उम्मीद है। हालांकि, 510 किलोमीटर के लिए बहु सम्पर्कता की स्थिति में नवीन निर्माण वर्तमान राजस्व रास्तों पर किया जाना है और ज्यादातर मामलों में पर्याप्त उपलब्ध चौड़ाई में कार्य किया जाना है . अतः निम्नलिखित प्रभावों की संभावना है:

भूमि की कमी: सड़क पर तीव्र मोड़ो के कुछ सुधार के मामले में भूमि के कुछ अंश की आवश्यकता होगी, जहां मौजूदा चौड़ाई (बहु सम्पर्कता की स्थिति) अपर्याप्त है, या वर्तमान चौड़ाई पर अतिक्रमण है।

सामुदायिक संरचनाओं: सामुदायिक /सार्वजनिक शौचालय, धार्मिक संरचनाओं/सांस्कृतिक /ऐतिहासिक स्मारकों, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र और इसी तरह की अन्य संरचनाओं पेड़ों और उपयोगिताओं जैसे पानी के नल, हाथ पंप आदि । निर्माण चरण में संभावित प्रभाव जैसे पहुँच /प्रवेश में रूकावट या बाधा , धूल उत्सर्जन आदि हैं जबकि डामरीकृत सतह के कम

आबादी वाले गावों के लिए संपर्कता की आवश्यता अनुभव की जाती है , जो सुरक्षित, द्रुत, धुल रहित आरामदायक गतिशीलता प्रदान करे, वहीं ग्रेवल सड़क के कारण वाहनो के आवागमन के कारण धूल उत्सर्जन से मानव स्वास्थ्य और आसपास की फसलों पर दुष्प्रभाव, सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, असहज सवारी, आदि कुछ सामान्य प्रतिकूल प्रभाव आदि हैं। यदि प्रस्तावित सुधार कार्य उचित तरीके से नियोजित डिजायन या निर्माण नहीं किये जाते तो वर्तमान ग्रेवल सड़क का डामरीकरण या अतिरिक्त संपर्क के कारण विपरीत प्रभाव अपेक्षित है। प्रत्याशित पर्यावरण प्रभाव सार्थक हो सकते हैं यदि विभिन्न स्तरों पर उचित तरीके से रोकथाम पर ध्यान नहीं दिया जाता है , इनमे सड़क के किनारे की नालियों का अपर्याप्त प्रावधान, अनुप्रस्थ प्राकृतिक ड्रेनेज संरचनाएं, बचे हुए गड्ढे का पुनर्भरण, निर्माण मलबे का उचित निष्पाद्वन और तटबंध/ढलान स्थिरता के उपाय, संयत्र/श्रमिक शिविरों और कार्यस्थलों पर एचएसई उपाय, सड़क सुरक्षा संकेतक, बजरी खदान के संचालन का प्रबंधन आदि शामिल है। इस तरह के प्रत्याशित पर्यावरण प्रतिकूल प्रभावों को एमपीआरआरडीए (MPRRDA) द्वारा तैयार किये गए पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs) के आधार पर ईएमपी द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किये जायेंगे ।

ईएमएफ (EMF), पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs), एसएमएफ (SMF) और वीएफ (VF)

ईएमएफ (EMF) मे पर्यावरणीय मुद्दों के आधा र पर स्क्रीनिंग द्वारा संवेदनशील ग्रामीण सड़कों की पहचान की जाती है। डीपीआर गतिविधियां प्रारम्भ करने से पूर्व पीआईयू द्वारा पहले पर्यावरण स्क्रीनिंग की जाएगी। पर्यावरण के मुद्दों की पहचान करने के लिए, स्क्रीनिंग एक उपयुक्त साधन होगी। इन्हें परियोजना तैयार करने के समय डीपीआर में एकीकृत किया जायेगा और यह पर्यावरणीय प्रभावों से बचने के लिए कसौटी के रूप में उपयोगी होगी । पर्यावरण स्क्रीनिंग मानदंड में शामिल पहलुओं/कारक जैसें: संवेदनशील क्षेत्र, प्राकृतिक पर्यावास, संरक्षित क्षेत्र और वन, उत्पादक कृषि भूमि की हानि, बारहमासी नदियों या सतही जल निकायों का काटना, प्राकृतिक खतरों की संवेदनशीलता, बाढ़, आदि घटक शामिल हैं। पर्यावरण संवेदनशीलता के आधार पर ग्रामीण सड़कों का वर्गीकरण, पर्यावरण स्क्रीनिंग द्वारा इस आधार पर होगा: (i) ऐसी ग्रामीण सड़कें, जिसमें कोई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव अपेक्षित नहीं है। (ii) ऐसी ग्रामीण सड़कें, सार्थक पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव संभावित है।

इसके अलावा, 10,000 किमी ग्रेवल सड़कों के निर्माण पूर्व वन भूमि और वन्य जीवन से जुड़े मुद्दों वाली सड़कों से बचने के लिए वन्य जीवन और वन भूमि की स्थिति की जाँच पीआईयू द्वारा और वन अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर ग्रामीण सड़कों में वन्य जीवन और वन भूमि से सम्बंधित मुद्दों की संलिप्तता को सत्यापित किया गया। मोटे तौर पर ग्रामीण सड़के जिनमे वन भूमि और वन्य जीवन संलिप्तता थी, उन सड़कों को सीएमजीएसवाई (CMGSY) से हटा दिया गया था। ऐसी सड़को का निर्माण तभी किया गया, जब आवश्यक वन और वन्य जीवन की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी। फिर भी, डीपीआर कंसल्टेंट्स और पीआईयू डीपीआर तैयार करने के लिए एक बार फिर से ग्रामीण सड़कों में वन भूमि और वन्य जीव मुद्दों को सत्यापित करेगे। इसके अतिरिक्त, एमपीआरआरडीए (MPRRDA) ने यह निर्णय लिया कि एमपीआरसीपी (MPRCP) में केवल उन सड़कों को ही लिया जायेगा जो वन भूमि और वन्य जीवन के मुद्दों से मुक्त हों।

पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs): पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम (MPRCP के लिए भी उपयोगी) के नियोजन, अभिकल्पन, निर्माण और रखरखाव में विपरीत पर्यावरण प्रभावों की रोकथाम और बचाव हेतु मार्गदर्शन करने के लिए विकसित की गयी है। प्रासंगिक पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs) को एमपीआरसीपी (MPRCP) परियोजना के लिए अनुकूलित किया गया है जो कि ईएमएफ (EMF) का हिस्सा हैं। पर्यावरण उपायों के क्रियान्वमन को पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs) में दिए गए पर्यावरण संपरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा ।

ग्रामीण सड़क के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी/वैकल्पिक सामग्री: एमपीआरसीपी (MPRCP) परियोजना के अन्तर्गत, गर्म बिटुमिनस में व्यर्थ प्लास्टिक के मिश्रण , शीत मिश्रण प्रौद्योगिकियों आदि आईआरसी के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण सड़कों के निर्माण में यथासंभव उपयोग की जाएगी। ग्रामीण सड़कों में अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों/ वैकल्पिक निर्माण सामग्रियों को आईआरसी के दिशा निर्देशों के अनुसार तकनीकी विशिष्टताओं के साथ डीपीआर तैयार करने के समय चयनित किया जायेगा।

निविदा दस्तावेजों में ईएमपी का निगमन: पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs) के आधार पर बनाये गयी पर्यावरण प्रबंधन योजना को ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु निविदा दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। ठेकेदार पर्यावरण प्रबंधन योजना में वर्णित पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) उपायों का पालन करेंगे। पूर्व-निर्माण चरण और सिविल कार्यों के क्रियान्वेयन के दौरान विधिक या पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण पर्यावरण पर होने वाले विपरीत प्रभावों को ठेकेदार स्वयं के खर्चे पर निराकृत

या नियंत्रित करेगा । पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs), जिसमें से इन शर्तों को लिया गया है या सूचीबद्ध किया गया है, वे सम्बधित पीआईयू और एमपीआरआरडीए (MPRRDA) वेबसाइट (www.mprrda.com) पर भी ठेकेदार के संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं।

एसएमएफ (SMF) भूमि दान या संपत्ति के लिए पहुँच की हानि के लिए विधियों को स्थापित करता है। विशेष रूप से, यह मार्गदर्शन करेगा कि पीआईयू कैसे परोक्ष रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जीविका और संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभावों की पहचान और नियंत्रित करेगा, जबकि परियोजना से प्रभावित लोगों की आबादी, विशेष रूप से गरीब महिलायें और अतिसंवेदनशील समूह जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करता है। यह परियोजना और भागीदारी की रूपरेखा प्रदान करता है जिसमे सभी चरणों जैसे सड़कों के लिए उन्नयन सड़कों का चयन, उप परियोजनाओं की स्क्रीनिंग, परियोजना सूचना को प्रसारित करना, संरेखण का अंतिम रूप और ट्राजिक्ट वॉक, प्रस्तावित संरेखण से के साथ ट्राजिक्ट वॉक द्वारा स्थानीय समुदाय और ग्राम स्तरीय सरकारी तंत्र के द्वारा संरेखण को अंतिम रूप देना, प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श, प्रभावित व्यक्तियों की प्रष्ठभूमि, परियोजना प्रभावित अतिसंवेदनशील व्यक्तियों की पहचान, आर&आर (R&R) मुद्दों का समांवेश, भूमि हस्तांतरण तंत्र (एमओयू /व्यक्तिगत भू-स्वामित्व का प्रस्तुतिकरण), पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों की भागीदारी, भूमि स्वामियों के लिए पारंपरिक एवं अवधि अधिकार सहित भूमि पर प्रभाव आदि सम्मिलित है।

एसएमएफ (SMF) भूमि प्रभावों की निम्नलिखित श्रेणियो को सम्मिलित करता है - भूमि के केवल स्वैच्छिक दान पर विचार करना, मकान और संरचना, अन्य परिसंपत्तियों (पेड़ और अन्य संपत्ति, विशेष रूप से बहु सम्पर्कता मार्ग के मामले में), अन्य समुदायिक संपत्ति जैसे अन्य संपत्तियों का आंशिक नुकसान या क्षति, हैंडपंप, मंदिरों, बैठने की जगह आदि के रूप में अन्य संपत्ति की क्षति के रूप में, गैर मुख्य धारक (अतिक्रमण और अवैध निवासी), आश्रय /आजीविका पर और निर्माण के दौरान अतिरिक्त अप्रत्याशित प्रभाव और अस्थायी प्रभाव। परियोजना वर्तमान में , ग्रामीण विकास योजनाओं को शामिल करते हुये अतिसंवेदनशील समूह के स्वामित्व की संपत्तियों की हानि की सहायता प्रदान करेगा। निर्माण अवस्था के प्रभावों के लिए, निर्माण के दौरान किसी भी सामुदायिक सरंचना या भूमि पर मशीनों के आवागमन के प्रभावों की लागत वहन करेगा। प्रस्तावित आर ओ डब्लू (ROW) के बाहर की अस्थायी भूमि, जमींदार या पंचायतीराज संस्था की लिखित सहमति /अनुमोदन के माध्यम से उपयोग किया जाएगा। ठेकेदार निर्माण शिविरों को लगाने के स्थानीय समुदाय के साथ तथा स्थानीय लोगों एवं पंचायत से परामर्श लेगा ताकि स्थानीय

समुदाय के साथ किसी तरह का टकराव या असंतोष से बचा जा सके। ठेकेदार ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कार्यों एवं इसके संभावित प्रभावों से समुदाय को जागरूक करने के लिए पर्चे /पत्रक के माध्यम से समुदाय के साथ विचार-विमर्श करेगा। अतिसंवेदनशील फ्रेमवर्क (VF), सामाजिक पहचान, लिंग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से उत्पन्न अतिसंवेदनशीलता पर ध्यान देगा।

अतिसंवेदनशील फ्रेमवर्क (VF) को ओपी 4.10 के अनुपालन में सहयोग के लिए बनाया गया है और यह अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के मध्य परियोजना के लाभ का समान रूप से वितरण को बढ़ावा देता है। यह फ्रेमवर्क अतिसंवेदनशीलों की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुये उनकी योग्यता विकास और क्षमताओं को बढाने के लिए सहभागिता, तकनीकी, परामर्श और सहयोग, सूचनाओं का साझाकरण का अनुमोदन करेगा । यह फ्रेमवर्क इन जनसंख्या समूहों को, डिजाइन, क्रियान्वसन और निगरानी में सम्मिलित करने का अधिकार देते हुये , इस प्रकिया में एक लाभार्थी से प्राथमिक हितधारक के रूप में सशक्त करता हैं और यह सुनिश्चित करता है कि उनकी परंपराओं के अनुसार लिंग संवेदी लाभ प्राप्त हों। वे परियोजना के नियोजन, क्रियान्वसन और मूल्यांकन में हितधारकों के रूप में भाग लेते हैं। अतिसंवेदनशील फ्रेमवर्क (VF) के मामले में: क) आदिवासी ब्लॉकों की संख्या और प्रकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की पहचान, ट्राजिक्ट वॉक, सामाजिक रूप से संगत संचार सामग्री का उपयोग करते हुए, मुक्त पूर्व सूचित सहमति (FPICs) सड़क निर्माण और रखरखाव के कार्यों में भागीदारी प्रदान करता है। ख) अनुसूचित जातियों के लिए ऐसे स्थानों जिसमें 80% से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की हैं, 10% संपर्कता प्रदान करता है। ग) महिलाओं के मामले में, परियोजना की गतिविधियों में महिलाओं भागीदारी की गणना और रिकार्डिंग करना, सड़क निर्माण और रखरखाव के कार्यों में भागीदारी प्रदान करता है।

संस्थागत व्यवस्था

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, एमपीआरसीपी (MPRCP) के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी। जिलों में पीआईयू, समन्वय और अन्य परियोजना के घटकों के साथ ईएसएमएफ के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा । एमपीआरआरडीए (MPRRDA), एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की नियुक्ति करेगा जो कि नियमित रूप से ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य के नियोजन, डिजाइन और निर्माण की निगरानी करेगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि एमपीआरसीपी (MPRCP) परियोजना चक्र के प्रत्येक चरण में किये गए कार्यों में सम्मत प्रक्रियाओं और मानकों का अनुपालन हो रहा है।

पीएमसी, एमपीआरआरडीए (MPRRDA) मुख्यालय पर एक पूर्ण कालिक पर्यावरण अधिकारी और सामाजिक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। पर्यावरण अधिकारी और सामाजिक अधिकारी, परामर्श देने, समन्वय, प्रशिक्षण, अभिलेखन, पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन की रूपरेखा के क्रियान्वेयन के लिए रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होंगे । एमपीआरआरडीए (MPRRDA) के अन्तर्गत बनाये जाने वाले डीपीआर की स्वतंत्र समीक्षा के लिए, एमपीआरआरडीए (MPRRDA) सड़क क्षेत्र में व्यापक अनुभव होने वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियरों के पैनल को तैनात करेगा। पीएमसी के पर्यावरण अधिकारी और सामाजिक अधिकारी, डीपीआर में स्थल विशिष्ट पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए इस पैनल के साथ समन्वय स्थापित करेगा। राज्य स्तर पर एमपीआरआरडीए (MPRRDA) में सेफगार्ड अधिकारी होगा जो, पीएमसी के पर्यावरण विशेषज्ञ और सामाजिक विशेषज्ञ को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा और पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs) सहित ईएमएफ (EMF) के प्रभावी क्रियान्विन के लिए पीएमसी और पीआईयू के साथ समन्वय स्थापित करेगा। इसके अलावा, सीएमजीएसवाई (CMGSY) के कर्मचारियों को पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन के क्रियान्वयन से उन्मुख कराने की आवश्यकता होगी। राज्य स्तर और पीआईयू स्तर के कर्मचारियों के लिए , ईएमएफ़ (EMF), पर्यावरण व्यवहार संहिता (ECOPs), एसएमएफ़ (SMF) और अतिसंवेदनशीलता फ्रेमवर्क (VF) के क्रियान्वयन के लिए दो स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

सामाजिक घटक, जिसमे एसएमएफ (SMF) और अतिसंवेदनशीलता फ्रेमवर्क (VF) शामिल है, की निगरानी सामाजिक आर्थिक आधार पर ग्रामीण समुदाय पर समग्र प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एमपीआरआरडीए (MPRRDA) द्वारा परियोजना के विस्तृत सा माजिक पहलुओं पर परियोजना का मूल्यांकन किया जायेगा: (क) राज्य गुणवत्ता मॉनिटर (ख) पीएमसी और ग) उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण के माध्यम से । इन कार्यों की निगरानी की रिपोर्ट समय समय पर बैंक को प्रस्तुत की जाएगी। मूल्यांकन के विषय क्षेत्र मुख्य रूप से एसएमएफ (SMF) के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देते हुये, समग्र क्रियान्विन और समुदाय के लिए के लिए अपनी समग्र उपयोगिता के संदर्भ में परियोजना की सामाजिक प्रभावशीलता का आकलन करना होगा। परियोजना का मूल्यांकन परियोजना जीवन चक्र के दौरान दो बार - मध्यावधि और परियोजना के अंत में किया जायेगा। इसके अलावा एमपीआरआरडीए (MPRRDA) ग्रामीण सड़कों में क्रियान्वित किये गए पर्यावरण प्रबंधन उपायों और ईएसएफ की प्रभावशीलता अनुप्रयोग के सत्यापन एवं ऑडिटिंग लिए स्वतंत्र सलाहकार/तृतीय पक्ष नियुक्त

करेगा। तृतीय पक्ष/स्वतंत्र सलाहकार सत्यापन और ऑडिटिंग के प्रयोजन के लिए योग्य और अनुभवी पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञों की टीम को नियुक्त करेगा।

शिकायतों का निराकरण

एमपीआरसीपी (MPRCP) मे पांच स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र होगा, जो ग्राम स्तर के साथ प्रारम्भ होकर महाप्रबंधक - पीआईयू तक होगा। इसके अलावा इस स्तर पर, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAP) के लिए जन सुनवाई की सुविधा होगी जो पीआईयू प्रमुख द्वारा हर मंगलवार को आयोजित की जाएगी। अगला स्तर, मुख्य् महाप्रबंधक स्तर, उसके बाद परियोजना निदेशक, एमपीआरसीपी (MPRCP) और यदि पूर्व स्तरों पर इनका निराकरण नहीं होता है तो अंतत: एमपीआरआरडीए (MPRRDA) मुख्यालय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन शिकायतों पर ध्यान देंगे । इन शिकायतों का 30 दिन की अवधि में निराकरण करना होगा। इस शिकायत निवारण तंत्र , जोकि व्यापक रूप से एमपीआरआरडीए (MPRRDA) का आन्तरिक तंत्र होगा , के अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन करने के लिए भी प्रावधान होगा, जो की शिकायत निवारण के लिए चार स्तरों पर अग्रेषित किया जाता है। यदि चाहें तो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAP) के पास अदालत से कानूनी सहायता लेने का भी विकल्प है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पीआईयू और एमपीआरआरडीए (MPRRDA) मुख्यालय पर, एक नामित जन सूचना अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) होता है, जो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उठाए गए किसी भी प्रश्न पर प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तर दायी होता है।

परामर्श और प्रकटीकरण

परियोजना के सभी चरणों, नियोजन चरण, प्राथमिकता चरण, परियोजना तैयार करने और क्रियान्वयन के चरण में प्रकटीकरण किया जायेगा। परियोजना तैयार और क्रियान्वयन के चरण में पंचायती राज संस्था और समुदाय से परामर्श किया जायेगा । प्रारूप सेफगार्ड दस्तावेजों (EMF, ECOPs, SMF और VF) का 28 अक्टूबर 2016 को एमपीआरआरडीए (MPRRDA) वेबसाइट (http://mprrda.com/Citizen/wb_project.htm) पर सार्वजनिक किया गया था। सेफगार्ड दस्तावेजों के अंतिम संस्करण को फिर म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण (MPRRDA) वेबसाइट पर और बैंक की इंफोशॉप (Infoshop) पर सार्वजनिक कर दिया जायेगा। ईएसएमएफ (ESMF) के कार्यकारी सारांश को स्थानीय भाषा हिंदी में भी सार्वजनिक किया जायेगा।

सेफगार्ड दस्तावेजों में बदलाव/संशोधन

ईएसएमएफ (ESMF) एक जीवंत दस्तावेज है, जिसमे जब और जहां आवश्यक होगा, संशोधन किया जाएगा। परियोजना में उत्पन्न अप्रत्याशित स्थितियों का मूल्यांकन किया जायेगा और उचित प्रबंधन के लिए रोकथाम उपायों का समावेश किया जाएगा। इस तरह के संशोधनों में देश एवं राज्य के कानूनी/नियामक व्यवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन/अद्यतन को सम्मिलित किया जायेगा। इसके अलावा, इस फ्रेमवर्क को अनुप्रयोग और क्रियान्वसन के अनुभव के आधार पर, इसके प्रावधानों और प्रक्रियाओं का, क्रियान्वयन एजेंसियों/ विभागों के साथ, उचित परामर्श और विश्व बैंक के अनुमोदन के साथ उचित रूप में नवीनीकरण किया जाएगा।